न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 4/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00008)

1. केशर देवी पत्नी लल्लूराम,
2. भौरी देवी पत्नी कालूराम, समस्त जाति बैरवा निवासी बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. केशर देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति बैरवा निवासी बडा बास भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 10.09.2018 प्रकरण संख्या 66/2018 उनवानी केशर देवी बनाम राज0 सरकार पर पारित किया गया।

उपस्थित–

1. **श्री सतीश पारीक, वकील अपीलान्ट**
2. **श्री राकेश वर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से**
3. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांक —18.09.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ 10.12.2019 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई के समक्ष के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नं. 738/396 रकबा 0.14 हैक्टेयर चाही भूमि वाके राम बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है। जिसका लगान प्रार्थीया अदा करती चली आ रही है। वर्तमान में भूमि प्रार्थीया के कब्जे में है। प्रार्थीया की भूमि का दिनांक 27.06.2018 को श्रीमान तहसीलदार जी महोदय बसवा के आदेश क्रमांक भू/2018/2502 दिनांक 14.06.2008 की पालना में खसरा नं0 728/396 का सीमाज्ञान मौके पर हो चुका है। भूमि में प्रार्थीया प्रत्थरगढी करवाकर पुख्ता डण्डा बनवानी चाहती है इसलिये सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर पत्थरगढी के आदेश फरमावे जिससे प्रार्थीया पुख्ता डण्डे का निर्माण कर सके। प्रार्थीया की भूमि की उपज फसल को जानवर नष्ट करते है एवं आस पडौस के खातेदार अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश करते है। प्रार्थीया शांतिप्रिय महिला है। विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहती है एवं ना ही कानून को हाथ में लेना चाहती है। प्रार्थीया की भूमि है जिसकी वह खातेदार है। पूर्व में अप्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है, जबकि मौके पर पत्थरगढी करवायी जानी आवश्यक है। अतः श्रीमान जी की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नं. 728/396 रकबा 0.14 हैक्टेयर चाही भूमि वाके रामा बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करने के अप्रार्थी को आदेश फरमावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसवा

को आदेश दिये गये कि प्रार्थीया की विवादित आराज ख0नं0 728/396 रकबा 0.14 है0 भूमि वाके रामा बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा की नियमानुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती केशर देवी पत्नी लल्लूराम वगै0 द्वारा यह अपील 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 10.09.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई के समक्ष केवल मात्र रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को ही पक्षकार बनाकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का वाके रामा बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा में स्थित भूमि 728/396 रकबा 0.14 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करने बाबत 6.8.2018 को प्रस्तुत किया तथा उक्त मुकदमे में स्वंय प्रार्थीनी रेस्पो0 नम्बर 1 ने दिनांक 10.08.2018 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी अपीलान्ट को प्रकरण में पक्षकार बनाने बाबत प्रस्तुत किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना तथा प्रकरण अति आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी तहसीलदार का कोई जवाब आये बिना तथा पत्रावली इन्तजार तलबी में होने के बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से मनमाने तरीके से बिना अपीलाण्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही दिनांक 10.09.2018 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढी करने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार थे जिसके बाबत प्रार्थीनी रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने स्वंय ने दिनांक 10.8.2018 को अपीलान्ट को पक्षकार बनाने के लिये एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का भी पेश किया था परन्तु प्रार्थना पत्र पर बिना कोई आदेश पारित किये बिना व बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये आलोच्य आदेश पारित कर दिया। प्रकरण में अपीलान्ट पत्थरगढी के प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे तथा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाना अति आवश्यक व कानूनी प्रावधानों के अनुसार अत्यन्त जरूरी था परन्तु इस तथ्य पर गौर किये बिना व स्वंय रेस्पो0 नम्बर 1 द्वारा पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश करने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कतई जानकारी नही थी। दिनांक 17.1.2019 को पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को बताया कि तुम्हारी भूमि पर पत्थरगढी करवाने के आदेश एसडीओ साहब बांदीकुई द्वारा हो रहे हैं। इसलिये अब हम पुलिस इमदाद से पत्थरगढी करवायेंगे। तब अपीलान्ट ने बांदीकुई जाकर अधीनस्थ न्यायालय में तलाश करवाया तो अपीलान्ट को आलोच्य आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश की कतई जानकारी नहीं थी। तब नकल लेने के लिये दिनांक 17.1.2019 को आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 18.1.2019 को नकल मिली तब वकील नियुक्त कर जानकारी से अन्दर मयाद अपील पेश है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अपील पेश करने मे हुई देरी को माफ फरमाने की कृपा करें

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

तथा अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाने की कृपा करें। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील मंजूर फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई दिनांक 10.09.2018 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट अनुवानी केशर देवी बनाम राजस्थान सरकार पर प्रकरण संख्या 66/2018 पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण हाल रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई के समक्ष के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नं. 738/396 रकबा 0.14 हैक्टेयर चाही भूमि वाके राम बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है। जिसका लगान प्रार्थीया अदा करती चली आ रही है। वर्तमान में भूमि प्रार्थीया के कब्जे में है। प्रार्थीया की भूमि का दिनांक 27.06.2018 को श्रीमान तहसीलदार जी महोदय बसवा के आदेश क्रमांक भू/2018/2502 दिनांक 14.06.2008 की पालना में खसरा नं0 728/396 का सीमाज्ञान मौके पर हो चुका है। भूमि में प्रार्थीया प्रत्थरगढी करवाकर पुख्ता डण्डा बनवानी चाहती है इसलिये सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर पत्थरगढी के आदेश फरमावे जिससे प्रार्थीया पुख्ता डण्डे का निर्माण कर सके। प्रार्थीया की भूमि की उपज फसल को जानवर नष्ट करते है एवं आस पडौस के खातेदार अनाधिकृत प्रवेश कर कब्जा करने की कोशिश करते है। प्रार्थीया शांतिप्रिय महिला है। विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहती है एवं ना ही कानून को हाथ में लेना चाहती है। प्रार्थीया की भूमि है जिसकी वह खातेदार है। पूर्व में अप्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है, जबकि मौके पर पत्थरगढी करवायी जानी आवश्यक है। अतः श्रीमान जी की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नं. 728/396 रकबा 0.14 हैक्टेयर चाही भूमि वाके रामा बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा की सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी करने के अप्रार्थी को आदेश फरमावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट नं. 1 का पत्थरगढी प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसवा को आदेश दिये गये कि प्रार्थीया की विवादित आराज ख0नं0 728/396 रकबा 0.14 है0 भूमि वाके रामा बडाबास भाण्डेडा तहसील बसवा की नियमानुसार पत्थरगढी कराये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा उचित एवं विधि सम्मत है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी पडौसी खातेदारी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा उचित एवं विधि सम्मत है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी पडौसी खातेदार को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। चूँकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलार्थीगण को पडौसी खातेदार माना है और उन्हे बतौर रेस्पोडेन्ट पक्षकार संयोजित किये जाने की प्रार्थना की गई है जिससे स्पष्टया अपीलार्थीगण प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है। ऐसे में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96

सीपीसी स्वीकार किया जाता है। साथ अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है जिसके कारण उन्हे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है तथा अनेकों अपर न्यायालयों द्वारा अपील/प्रार्थना पत्रादि को प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसे में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए व प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं ने अपीलार्थीगण को पडौसी खातेदार काश्तकार होना व उन्हे प्रकरण में बतौर रेस्पोडेन्ट संयोजित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 प्रस्तुत किया गया है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अपीलार्थीगण को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया गया और ना ही उक्त प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 को निस्तारित किया गया बल्कि बिना न्यायिक प्रक्रिया अपनाये ही जल्दीबाजी में अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 पारित किया गया है जिसे कानून उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसे में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में समरी जॉच पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ.प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।